न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 28/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 17.05.2024 निर्णय दिनांक:13.08.2024

1. मंगत सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....प्रार्थी

बनाम

1. तीजा देवी पत्नि शंकर लाल सोनी निवासी प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. कपील उपाध्याय उपखण्ड अधिकारी पावटाजिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0

....अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 33/2021 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) बउनवानी तीजा देवी बनाम कान्ता कंवर वगै0 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री प्रेमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री देवेन्द्र कुमार आर्य अप्रार्थी नं0 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 13.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष प्रकरण संख्या 33/2021 बउनवानी तीजा देवी बनाम कान्ता कंवर वगै0 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी पावटा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार आर्य ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं सीधी बहस हेतु निवेदन किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीया तीजा देवी ने उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है जिसमें अप्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी भूमि 957, 965, 966, 967, 970, 975, 977, 985 वाके मौजा प्रागपुरा में आने जाने का रास्ता ना होना जाहिर कर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 974 वाके मौजा प्रागपुरा से रास्ता चाहने का निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र का मिन प्रार्थी की तरफ से जवाब पेश कर मौके की वास्तविक स्थिति जवाब में वर्णित कर दी गयी है। किन्तु इसके बावजूद भी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा द्वारा पत्रावली में निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की जा रही है, अप्रार्थीया सैनी जाति की है तथा पावटा में हाल ही तहसीलदार साहब भी सैनी जाति के है जो अप्रार्थीया के नजदीकी रिश्तेदार बताती है तथा एलानिया धमकी देती है कि हमने तहसीलदार साहब के मार्फत एस०डी०ओ० साहब से बातचीत कर ली है तथा तुम्हारी भूमि खसरा नम्बर 974 वाके मौज प्रागपुरा में से रास्ता कटवाकर लेगे जबकि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष प्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर दिया गया है तथा राजस्व रिकार्ड की नकलों व मौका की स्थिति के अनुरूप से अप्रार्थीया की भूमि पर आने जाने के अन्य रास्ते उपलब्ध है तथा एकमात्र रास्ते का विकल्प खसरा नम्बर 968 वाके मौजा प्रागपुरा से बनता है किन्तु उपखण्ड अधिकारी महोदय पावटा द्वारा तमाम तथ्यों को दरकिनार कर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

दिनांक 27–03–2024 को एक आदेशिका तहसीलदार पावटा के नाम इस अमर की जारी की गई है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 974 वाके मौजा प्रागपुरा में से आने जाने हेतु रास्ते का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस बनाकर पेश करें, उक्त तहरीर से साफ जाहिर है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पूर्वाग्रह से ग्रसित है तथा ऐनकेन प्रकारेण मौका एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 974 वाके मौजा प्रागपुरा से रास्ता काटने का आदेश पारित करना चाहते हैं, ऐसी सूरत में प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी पावटा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है तथा प्रार्थी उक्त प्रकरण की सुनवायी उपखण्ड अधिकारी पावटा के अलावा अन्य किसी राजस्व अधिकारी से करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा में जेरकार प्रकरण उनवानी तीजा देवी बनाम कान्ता कंवर वगै०, मु0न0–33/2021, अंतर्गत धारा 251 (ए), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्यत्र उपखण्ड स्तरीय न्यायालय में ट्रांसफर करने की कृपा करें।

5. अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थीया प्रकरण में वर्णित आराजी की बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है तथा काश्त कर रही है। उक्त आराजी में आने–जाने का कोई रास्ता वर्तमान में रिकार्ड पर नही है। इसलिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 पेश किया। प्रार्थी के द्वारा जानबूझकर प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है। अन्त में वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपने पत्रांक कोर्ट/2024/301 दिनांक 11.06.2024 के द्वारा प्रकरण में बिन्दुवार टिप्पणी भिजवाकर जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्य मनगढंत निराधार व बेबुनियाद है क्योकि प्रकरण के निस्तारण हेतु विधिवत कार्यवाही जैरकार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य पक्षकारो के आपस के है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा का इनसे कोई संबंध नही है। यदि फिर भी प्रकरण को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाता है तो न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना एवं उपखण्ड अधिकारी पावटा की बिन्दुवार टिप्पणी तथा पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. अप्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा गलत एवं मनगढंत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी पावटा को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड